यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ नैनीताल के माह 07/2013 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि पाठक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17/09/2018 से 22/09/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविंद शर्मा व खजान सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 29-07-2013 से 03-08-2013 तक श्री सुनील कल्ला वरि॰ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2006 से 06/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2013 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ हल्द्वानी-किच्छा रोड पर स्थिति है। जो हल्द्वानी से 16 किलोमीटर दूर है तथा मुख्य मार्ग से 200 मीटर अन्दर है| जिसका मुख्य कार्य बीमांकित रोगी एवं उनके पारिवारिक सदस्यो को स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख)

वित्तीय वर्ष	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**समर्पण**	
	प्रा॰ शे॰	**आवंटन**	**व्यय**	**प्रा॰ शे॰**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	29180000	10602179	18577821	
2016-17	-	-	-	-	10873022	10861172	11850	
2017-18	-	-	-	-	19325578	17609822	1715756	
2018-19 व्यय 08/2018 तक	-	-	-	-	19171000	4800453	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**				
	प्रा॰ शेष	**आवंटन**	**ब्याज आदि प्राप्तियाँ**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी "सी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

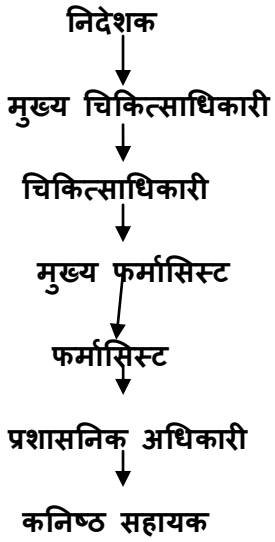

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय चिकित्साधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ की लेन देन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। कार्यालय चिकित्साधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1:- औषधि का वितरण पंजिकाओ में यथोचित अंकन न होने से धनराशि रुपए 27.10 लाख की औषधि के वितरण की संदिग्धता

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3 (3, 5 एवं 13) के अनुसार-

" The specification in terms of quality, type etc. as also quantity of goods to be procured, should be clearly spelt out keeping in view the specific needs of the procuring organizations. The specification so worked out should meet the basic needs of the organization without including superfluous and non essential features, which may result in unwanted expenditure." "The competent authority shall ensure that the selected item adequately meets the requirement in all respects." "Standard of financial propriety states that- The expenditure should not be prima facie be more than the occasion demands"

कार्यालय राज्य बीमा कार्यालय, लालकुआ, के अंतर्गत लालकुआ औषधालय के औषधि क्रय अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि औषधालय द्वारा विगत 4 वर्षो (वर्ष 2013-14 से 04/2014) तक केवल 1000 स्प्रे (muscle spray)की मांग की गयी थी एवं उन्ही का वितरण भी किया गया था, अर्थात औषधालय में प्रति वर्ष केवल 250 स्प्रे की आवशयकता रहती थी। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017-18 के औषधि पंजिका की जांच में देखा गया कि वर्ष 2017-18 मे माह जनवरी से अप्रैल के मध्य औषधालय द्वारा मांग/आवश्यकता से अधिक 13,834 PRS spray धनराशि रुपए 18.23 लाख का क्रय किया गया तथा वर्ष 2018-19 मे अगस्त माह तक 3,770 PRS स्प्रे की प्राप्ति रुद्रुपुर एवं देहरादून (CMSD) औषधालय से की गयी। इस प्रकार 01/2017 से 08/2018 के मध्य मे औषधालय में 17604 स्प्रे की आपूर्ति क्रय/प्रेषण हुआ । लेखापरीक्षा द्वारा आगे जांच में देखा गया कि उक्त अवधि में औषधि वितरण पंजिकाओ के अनुसार मात्र 387 (104+283) स्प्रे का वितरण किया गया। OPD मे संबन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवशेष स्प्रे 17217 (17604-387=17217) धनराशि रुपए 27.10 लाख के वितरण अथवा अवशेष मात्रा का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अवशेष स्प्रे 17217 का कोई भी अभिलेख (यथा OPD पर्ची एवं Prescription रजिस्टर आदि में भी) नहीं था। मरीजो हेतु ऑनलाइन वितरण पंजिका मे यह भी पाया गया की मरीजो को चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 से 10 स्प्रे एक बार मे वितरित किए गए है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त औषधि का क्रय एवं वितरण संबन्धित औषधालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा

स्वयं किया गया तथा ओपीडी मे मरीजो को वितरित की जाने वाली औषधि के अभिलेखो का रखरखाव भी उन्ही के द्वारा स्वयं किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवशेष स्प्रे 17217 धनराशि रुपए 27.10 लाख का औषधि/वितरण पंजिकाओ में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए था जो उक्त पंजिकाओ में नहीं था।

अतः धनराशि रुपए 27.10 लाख की औषधियों का वितरण पंजिकाओ में यथोचित अंकन न होने से औषधि के संदिग्ध वितरण का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1- धनराशि रु. 1494892.00 का भुगतान बाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान बाउचर जो कि माह मार्च 2015 एवं मार्च 2018 से संबंधित है, सम्प्रेक्षा दल की कैश बुक से मिलान हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये, जिस कारण उक्त बाउचरों का मिलान रोकड़ बही से नहीं किया जा सका। जिसका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	बिल नम्बर	अवधि	धनराशि
1.	P-183	03/2015	580.54
2.	C-183	03/2015	107029.00
3.	C-135	03/2015	61094.00
4.	C-146	03/2015	40479.00
5.	P-120	03/2018	245086.00
6.	C-169	03/2018	27938.00
7.	C-160	03/2018	82689.00
8.	P-137	03/2018	100000.00
9.	C-159	03/2018	48800.00
10.	C-186	03/2018	49840.00
11.	C-124	03/2018	370796.00
12.	C-121	03/2018	303087.00
योग			1494892.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि जांच करने के उपरान्त कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अवगत करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित भुगतान बाउचर प्रेषित न करना शिथिलता प्रकट करता है, अतः धनराशि रु. 1494892.00 का भुगतान बाउचर प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
55/2013-14	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम / पदनाम**	**दिनांक**
1.	डॉ0 नरेश कुमार मुख्यचिकित्साधिकारी	01-04-2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय लालकुआ नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.